



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383,25846272,25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

क्रमांक:- सर0/कृषि/23/2026-27-

दिनांक: -13.03.2026

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) में फार्म के (खण्ड 4 के चक संख्या 39,40,42,43,44,45,46 पीबीएन) व (खण्ड 5 के चक संख्या 47,48,49,50,51,52 पीबीएन) में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य विवरण
1.	विभिन्न चको में खड़ी जूलीफलोरा को जमीनी सतह से काटकर कुत्तर बनाकर, जड़ों को उखाड़कर, धर्मकांटे पर तोल के आधार ले जाने हेतु।

उक्त कार्य हेतु ई-निविदाएं दिनांक 04.04.2026 को दोपहर 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है व ई-निविदा दिनांक 04.04.2026 को दोपहर 11:30 बजे फार्म मुख्यालय सरदारगढ़ में खुलेगी। विस्तृत जानकारी के लिये निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर तथा ई-पोर्टल <http://indiaseeds.enivida.com> पर देखी जा सकती है, जिस पर निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

Particulars	Details
Date of issue of NIT	13-03-2026
Tender Document Download Start Date/Time	13-03-2026 11.00 AM
Tender Document Download End Date/Time	04-04-2026 11.00 AM
Date and time for submission of online bid	From 13-03-2026 11.00 AM 04-04-2026 11.00 AM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Sardargarh	04-04-2026 on 11:30 AM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 354.00 (Rs.300+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 20000.00 per Chak
Address for communication.	Head of Farm, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Sardargarh (Raj.) PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Sushant priyadarshi I/c prodn.-8078678415
Regarding deposit of EMD	If a bidder wants to participate in the tender for a Chak, he should deposit Rs.20000.00 in the farm account (A/c 34032829868 IFSC SBIN0007774). And bidder who wants to participate in the tender for 2 chak to pay Rs. 20000.00 per chak through the portal.

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number; registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...
15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़, राज0

फार्म प्रक्षेत्र में खड़े विभिन्न जूलीफेरा को जमीन की सतह से काटकर कुत्तर बनाना व जड़ों को उखाड़कर तोल के आधार पर ले जाने के कार्य की नियम व शर्तें।

1. निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व **NEFT/RTGS/आनलाइन** माध्यम से रुपये 20000/— मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से धरोहर राशि व रुपये 354/— निविदा फार्म राशि के रूप में फार्म खाते में (नियम व शर्त संख्या 26 के अनुसार) जमा कराना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पते का साक्ष्य (आधार कार्ड), पेन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति जिस पर आई.एफ.एस.सी कोड अंकित हो को निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य है।
3. सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (**Securtiy money**) रुपये 20000/— जमा करवानी होगी। उक्त राशि में ई.एम.डी राशि भी समायोजित की जा सकती है। सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर/सुरक्षा राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
4. निविदा की उच्च निविदा दर की स्वीकृति/अस्वीकृति एक सप्ताह के अंदर घोषित कर दी जायेगी। फार्म प्रमुख को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
5. ठेकेदार को जो उक्त कार्य आवंटित किया गया है, वह दुसरे ठेकेदार को कार्य सबलेट नहीं करेगा तथा उस कार्य क्षेत्र में वह संदिग्ध व्यक्तियों को नहीं रखेगा। उक्त कार्य पर लगाये जाने वाले प्रतिनिधि, जिसको वह करने के लिये अधिकृत करता है उसके हस्ताक्षर मय फोटो अखरे रुपये **पचास के स्टाम्प पेपर पर नोटरी** से तस्दीक करवाकर, उसी मूल प्रति देगा तथा छाया प्रति जोकि वह फार्म पर कार्य करने के दौरान अपने पास अवश्य रखेगा व कार्य स्थल पर मांगने पर दिखायेगा। फार्म द्वारा ठेकेदार से किसी भी तरह का पत्राचार पार्टी द्वारा निविदा में उपलब्ध करवाये गये ई—मेल पर किया जायेगा।
6. विलायती कीकर (जूलीफलोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर कुत्तर बनाने की व जड़ों की दर प्रति क्विंटल देनी होगी, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का कर इस कार्य पर देय होगा, तो खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।
7. कटाई का कार्य एक सिरे से चक प्रभारी व खंड प्रभारी द्वारा सप्ताहिक आवंटित किये गये क्षेत्र के अनुसार करना होगा, एवं आवंटित क्षेत्र में छोटा—मोटा जो भी जूलीफलोरा खड़ा है उसे काटकर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्चार्ज व खंड प्रभारी की देख-रेख एवं निर्देशानुसार करना होगा। जूलीफेरा (विलायती कीकर) को काटकर कुत्तर बनाना व जड़ों को उखाड़ना, उखाड़ी गयी जड़ व की गयी कुत्तर को अपने साधन पर लोड करके फार्म के धर्मकांटे से तोल के आधार पर ले जाने अनुसार करना होगा। ठेकेदार को फार्म के निर्देशानुसार विशेष क्षेत्रों में विलायती कीकर (जूलीफेरा) के साथ खड़ी आक, केर व अन्य झाड़ियों की सफाई भी करनी होगी।
8. विलायती कीकर (जूलीफलोरा) की झाड़ियां जमीनी सतह से काटकर कुत्तर बनाने का कार्य चक रोड एवं खाली क्षेत्र में ही किया जाना है चको में हुई बिजाई को दृष्टिगत चको के बीज में यह कार्य नहीं होगा। यदि अनुबंध की समयावधि में फसल की कटाई हो जाती है व खेत खाली हो जाते हैं तब उस दशा में ठेकेदार को तुरंत फसल कटाई के बाद बीच के क्षेत्र से भी जुलफलोरा की कटाई आवश्यक रूप से करनी होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य का क्षेत्र घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
9. विलायती कीकर (जूलीफलोरा) की झाड़ियों को जड़ सहित निकालकर ठेकेदार को ले जाना होगा जिसके लिये ठेकेदार को सरदारगढ़ फार्म कार्यालय में अग्रिम रकम जमा करवाकर रिलीज आर्डर लेना होगा। अंतिम रिलीज ओदश से पूर्व 100 क्विंटल भार से कम का रिलीज आर्डर जारी नहीं किया जायेगा।
10. ठेकेदार को जुलीफलोरा की जमीनी सतह से ऊपर की कटाई का कार्य करने के बाद जड़ों को निकालने का कार्य भी अधिकतम 10 दिनों के अंतराल पर करना अनिवार्य होगा। यदि विशेष परिस्थितियों (प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों इत्यादि) में जड़ निकालने का कार्य करना संभव न हो उस दशा में सामान्य परिस्थितियां होते ही तुरंत जड़ निकालने का कार्य प्रारंभ करना होगा।
11. वाहनो को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनायेगा। ठेकेदार या उसका आदमी किभी भी प्रकार का झगडा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमीयों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया **दण्ड/जुर्माना**, ठेकेदार द्वारा देय होगा।

12. सफल ठेकेदार द्वारा यदि संभव है, तो पूरी ट्राली को एक ही दिन में भरकर तोलकर ले जाना होगा। यदि ट्राली किसी भी कारणवश एक दिन में नहीं भरती है तब उस दशा में ठेकेदार को आधी भरी हुई ट्राली को खंड प्रभारी के आदेशानुसार उसके (ठेकेदार के) कार्यक्षेत्र के निकटवर्ती सुरक्षित जगह पर खड़ा करना होगा। जिसकी सूचना संबंधित हेड गार्ड को देनी होगी। खंड-4 से कटाई किये गये जुलीफलोरा का वजन खंड-4 के धर्मकांटे व खंड-5 से कटाई किये गये जुलीफलोरा का वजन खंड-5 के धर्मकांटे पर करना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा जुलीफलोरा की कटाई कर तोलने से पूर्व फार्म खाते में धनराशि जमा करवाकर व उचित गेट पास द्वारा ही जुलीफलोरा व जड़े ले जाने की अनुमति होगी।
14. ठेकेदार में विलायती कीकर (जुलीफलोरा) के अतिरिक्त खड़े या गिर हुये पेड़ों की शाखाओं की लकड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा। यदि उसके द्वारा कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तब नियम व शर्त संख्या 16 के अनुसार फार्म द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
15. लदाई/उतराई व कुत्तर बनाते समय या इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिये पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेवारी जैसे, **insurance & driving license** इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
16. यदि ठेकेदार द्वारा टेन्डर की नियम व शर्तों की अवहेलना की जाती है या फार्म संपत्ति/खड़े या गिरे पेड़ व उसी शाखाओं को नुकसान पहुँचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जांच के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तब ठेकेदार का ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर डिबार सूची में डाला जा सकता है।
17. ठेकेदार द्वारा अनुबंध किये गये चक पर खण्ड व चक प्रभारी द्वारा साप्ताहिक आवंटित क्षेत्र में जुलीफलोरा की कटाई व कुत्तर कार्य कार्य पूर्ण होने से पहले बिना संतोषजनक कारण के कार्य रोक दिया जाता है तब फार्म द्वारा एक चेतावनी पत्र जारी किया जायेगा, उसके उपरांत भी यदि ठेकेदार कार्य रोक कर रखता है तब उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा साथ ही उसी धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को डिबार सूची में भी डाला जा सकता है। चक पर शेष बचा हुआ कार्य उन्ही दसों पर अन्य ठेकेदार से करवाया जायेगा।
18. यदि कुत्तर ठेकेदार द्वारा जानबुझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ या पेड़ की मोटी शाखा काट कर कुत्तर बना दिया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें व ठेकेदार की धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को डिबार सूची में भी डाला जा सकता है।
19. कार्य का समय सुबह 8 बजे से सांय 05:15 बजे तक होगा। जुलीफलोरा की झाड़ियों व जड़ों को ले जाने हेतु तुलाई का कार्य 05:15 बजे से पूर्व करना होगा। असामान्य स्थिति में जैसे टेक्टर, ट्राली खराब इत्यादि होने पर ठेकेदार को संबंधित खंड प्रभारी, चक प्रभारी व सुरक्षा हेड गार्ड को सूचित करना होगा।
20. विशेष परिस्थितियों में या फार्म हित में कार्य की आवश्यकता के मध्यनजर कार्य करने का समय सांय 05:15 बजे से श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है।
21. कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिये फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
22. कार्य आदेश जारी होने के बाद कार्य को 10 दिनों में शुरू करना होगा अन्यथा आवंटित कार्य रद्द कर अन्य इच्छुक ठेकेदार को दे दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
23. वेस्ट मेटिरियल, कांटे इत्यादि को जलाकर साफ करना अनिवार्य होगा तथा इसके बाद ही आगे कार्य करने दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकता।
24. आवंटित कार्य को पूरा करने की अवधि 30 जून 2027 तक रहेगी जिसे श्रीमान फार्म प्रमुख की अनुमति के बाद बढ़ाया जा सकता है।
25. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
26. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को रुपये 500/- का स्टाम्प पेपर अपने खर्च से खरीद कर, सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मंजूर हैं तथा इसके अनुसार ही कार्य करूंगा।
27. एक ठेकेदार को अधिकतम 2 चक ही आवंटित किये जायेंगे निविदादाता निविदा में केवल 2 चको हेतु ही दरे दे सकता है यदि निविदादाता वित्तिय निविदा में 2 से अधिक चको हेतु दरे देता है तो उसकी निविदा स्वतः

निरस्त कर दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में फार्म प्रमुख महोदय की स्वीकृति पत्रांत 2 से अधिक चक आवंटित किये जा सकते हैं।

28. परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निविदा में आवंटित क्षेत्र में से फार्म अपने स्वयं के साधनों अथवा निविदा के माध्यम से किसी निर्धारित क्षेत्र से जड़ सहित जूलीफलोरा निस्तारण करवा सकता है।
29. एक सिर से छोट बड़े सभी जूलफलोरा जड़ सहित काटकर कुत्तर करके ले जाना होगा। ठेकेदार को प्रत्येक माह कम से कम 500 क्विंटल/प्रति चक जूलफलोरा का आर.ओ कटवाना अनिवार्य है यदि ठेकेदार किसी माह में 500 क्विंटल/प्रति चक से कम का आर.ओ कटवाता अथवा जिस माह में ठेकेदार द्वारा जुलीफलोरा का निस्तारण शून्य हुआ तो फार्म द्वारा उक्त संदर्भ में ठेकेदार को नोटिस जारी किया जायेगा यदि ठेकेदार द्वारा उक्त नोटिस का जबाब नहीं दिया जाता है अथवा ठेकेदार द्वारा दिया गया जबाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो फार्म के पास ठेका निरस्त करने व धरोहर राशि/सुरक्षा राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
30. चक प्रभारी व खंड प्रभारी द्वारा बतायी गयी प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित लोटस का जड़ सहित जूलफलोरा निस्तारण करना होगा।
31. फर्मो/ ठेकेदार द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य आनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खाते विवरण निम्न प्रकार है—

Account NO:- 34032829868

IFSC Code:-SBIN0007774

Name of Account holder:- National Seeds corporation limited, Sardargarh

Bank Name :- State Bank of India, Suratgarh

- 32- यदि किस भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिये एकमात्र मध्यस्थत नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकारी दिल्ली की अदालत होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card/Driving License/Rashan Card etc.	
Signed copy of Terms and condition	
Copy of Bank Passbook & cancelled cheque	
Upload annexure "A" UNDERTAKING ON Rs. 100/-Stamp paper REGARDING Non BLACKLISTING / NON- DEBARMENT	

Annexure A

FORMAT OF UNDERTAKING, TO BE FURNISHED ON Rs. 100/- Stamp paper
WITH REGARD TO BLACKLISTING / NON- DEBARMENT, BY ORGANISATION
UNDERTAKING REGARDING BLACKLISTING / NON- DEBARMENT

AFFIDAVIT

To,
The Head of Farm,
NSC, CSF SARDARGARH.

- 1- We hereby confirm and declare that we,
M/S....., have not been blacklisted / De-
registered by any Government department / Public Sector Undertaking
/ Private Sector / or any other agency for which we have Executed
/ Undertaken the work / Services during the last 5 years.
- 2- We hereby confirm and declare that we,
M/S....., have not been debarred in any
unit of NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED in last 3 years.

For.....
Authorised Signatory
Date:



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383,25846272,25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail -csf.sardargarh@indiaseeds.com

क्रमांक :- सर/कृषि/23/2026-27-

दिनांक: -

खण्ड संख्या/चक संख्या:-.....

फार्म प्रक्षेत्र में खड़ेविलायती कीकर (जूलीफेरा) को जड़ की सतह से काटने के बाद कुत्तर बनाने एवं जड़ों को उखाड़कर तोल के आधार पर ले जाने का टेण्डर फार्म

क्र. सं.	खण्ड संख्या/चक संख्या	विभिन्न चको में खड़ी जूलीफलोरा को जमीनी सतह से काटकर कुत्तर बनाकर व जड़ों का उखाड़ कर ले जाने की दर प्रति क्विंटल , रुपये में (जो निविदा दाता द्वारा फार्म को दी जानी है)
1.	4/39 पीबीएन	
2.	4/40 पीबीएन	
3.	4/42 पीबीएन	
4.	4/43 पीबीएन	
5.	4/44 पीबीएन	
6.	4/45 पीबीएन	
7.	4/46 पीबीएन	
8.	5/47 पीबीएन	
9.	5/48 पीबीएन	
10.	5/49 पीबीएन	
11.	5/50 पीबीएन	
12.	5/51 पीबीएन	
13.	5/52 पीबीएन	

ई.एम.डी राशी.....

हस्ताक्षर :-

डी.डी न./यु.टी.आर न.-.....

नाम :-

दिनांक

पिता का नाम :-

स्थायी पता :-

.....

.....

फोन नं. :-

पेन कार्ड नं. :-.....

बैंक खाता संख्या.....